



## झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद ।

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 09/2013-14

दिनांक 28.02.2014

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा निम्नलिखित कार्य/कार्यो हेतु अनुभवी एवं सक्षम टेकेदारों से प्रतिशत दर उपर/नीचे आधार पर दो भागों में (भाग I एवं II) मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

1. विज्ञापन दाता का नाम — उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद ।
2. निविदा पत्र प्राप्त करने की अवधि एवं समय — 01.03.2014 से 07.03.2014 तक 4.00 बजे अपराह्न
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि — 21.03.2014 को 12.00 बजे अपराह्न तक
4. पार्ट-I निविदा खोलने की तिथि एवं समय — 21.03.2014 को 12.30 बजे अपराह्न
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान — जे0आर0डी0ए0 कार्यालय, हीरापुर, धनबाद ।
6. निविदा जमा करने का स्थान — जे0आर0डी0ए0 कार्यालय, धनबाद ।
7. निविदा खुलने का स्थान — जे0आर0डी0ए0 कार्यालय, हीरापुर, धनबाद ।
8. कार्यो का विवरणी :-

क्र0	कार्यो का विवरणी	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	कार्य की अवधि
1.	Construction of Compound Wall, shed & road for Kabristhan Asthal at Jharia Vihar Colony, Belgoria, Dhanbad.	₹ 14,79,071.00	₹ 29,590.00	₹ 500.00	6 माह

9. निविदादाताओ को व्यक्तिगत रूप से पहचान पत्र के साथ उपस्थित रहने एवं वैध अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा कागजात दिए जायेंगे ।
10. परिमाण विपत्र क्रय हेतु पैन नम्बर, वाणिज्य कर सफल प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र का सुस्पष्ट छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
11. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुसार प्राप्त की जायेगी जिसमें एक लिफाफा टेक्नीकल बीड एवं दुसरा लिफाफा प्राइस बीड का होगा। दिनांक 21.03.2014 को केवल टेक्नीकल बीड का लिफाफा खुलेगा। टेक्नीकल बीड में जो निविदानुसार क्वालिफाई करेगे उन्ही का प्राइस बीड इसके हेतु निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। टेक्नीकल बीड एवं प्राइस बीड का मुहरबन्द लिफाफा एक तीसरा लिफाफा में सील कर दिनांक 21.03.2014 को निर्धारित समय सीमा में डालना है।
12. दो लिफाफा पद्धति से निविदित कार्यो के निविदाकारों को टेक्नीकली क्वालीफाई करने हेतु निम्नलिखित अहर्ता को पुरा करना अनिवार्य होगा। निम्नांकित अहर्ताओं को धारित नही करने वाले निविदा प्रस्ताव का प्राइस बीड नहीं खोला जायगा।
  - क) मुख्य सवेदक (प्राइम कान्ट्रेक्टर) के रूप में समान कार्य का अनुभव निविदा आमन्त्रित होने वाले दिन के पूर्व माह के अन्तिम तिथि से पीछले सात वर्ष पूर्व तीन में से एक होना अनिवार्य होगा -

- i) प्राक्कलित राशि के 80% राशि के समतुल्य या ज्यादा का एक कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अनुभव।  
या
- ii) प्राक्कलित राशि के 50% राशि के समतुल्य या ज्यादा का दो कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अनुभव।  
या
- iii) प्राक्कलित राशि के 40% राशि के समतुल्य या ज्यादा का तीन कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अनुभव।

एतद संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख) मुख्य संवेदक (प्राईम कान्ट्रेक्टर) के रूप में निविदा दाता का असैनिक अभियंत्रण कार्यो का पीछले तीन वित्तिय वर्षो में कूल पलटाव (टर्ण ओवर) प्राक्कलित राशि का 90% के समतुल्य राशि या अधिक होना अनिवार्य होगा। एतद संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ग) समान कार्य का मतलब :- भवन निर्माण संबंधी असैनिक कार्य।

13. संवेदक को किये गये कार्य का सभी गुणवत्ता नियन्त्रण जाँच रिपोर्ट समर्पित करने के उपरान्त ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
14. सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरों के लिए स्वीकृत की गई दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
15. अधोहस्ताक्षरी तथा सक्षम पदाधिकारी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या एक से अधिक संवेदको में कार्य को बाँटने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. परिमाण विपत्र का मुल्य (जो लौटाई नही जायेगी) किसी भी राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ली जायेगी, जो मुख्य प्रबंधक,, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के पदनाम से निर्गत होगा एवं धनबाद शाखा पर देय होगा।
17. अग्रधन की राशि एन0एस0सी0 के आठवॉ निर्गत या 3/5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस का सावधि जमा प्रपत्र या बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी (झारखण्ड स्थित किसी राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक से जो झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के पक्ष में प्रतिज्ञापित/निर्गत होगा। अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली बैंक गारण्टी की वैधता निविदा की वैधता से 45 दिन ज्यादा होगा।
18. एकरारनामा के अवधि में कार्य पूर्ण नही करने पर नियमानुसार कारवाई की जायेगी।
19. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
20. निविदा जिन समवेदक के पक्ष में निर्णित होगा इन्हे सूचित करने के दस दिनों के अन्दर एफ-2 प्रपत्र पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा विलम्ब होने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
21. विशेष सूचना के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से मिले या सूचना पट्ट पर देखे।
22. खनीज समनुदान नियमावली 1972 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहारित लघु खनीज को खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कार्य की MNF उपलब्धता पर सम्पादित कार्यो का भुगतान किया जायेगा।
23. परिमाण विपत्र में दर्शाये गये दर से 10% से कम की निविदा दर अमान्य होगी।
24. निविदादाता जिस कार्य के लिए निविदा दे रहे है वे स्वयं स्थल भ्रमण एवं सर्वे कर ही और उसकी सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा दर अंकित करें।

25. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशो अनुदेशो का पालन करना अनिवार्य होगा ।
26. संवेदक त्रुटिपुर्ण सामग्रियो की आपूर्ति एवं गलत व्यवहार के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेगे ।
27. सिमेन्ट एवं छड़ की खरीदगी संवेदक को विभाग द्वारा अनुमोदित कम्पनी से करनी होगी ताकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके ।
28. किसी भी तरह की दर बढ़ोतरी मान्य नही होगी ।
29. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं तदनुसार अग्रधन का राशि घट बढ़ सकती है ।
30. कार्य समाप्ति के बाद एक वर्ष तक कार्य का रख-रखाव का दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नही होगा।
31. इस निविदा को Web site –<http://www.jrda.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा दस्तावेज को उपर्युक्त Website से down load कर निविदा में प्रयोग किया जा सकता है। निविदा के साथ परिमाण विपत्र का मुल्य Part – I.i.e. technical bid के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

ह0/—

मुख्य प्रबंधक (असैनिक),  
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद